

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति STATE LEVEL BANKERS' COMMITTEE

उत्तराखण्ड / UTTARAKHAND

45^{वीं} बैठक 31 मई 2013

(समीक्षा 31 मार्च 2013 त्रैमास तक)



संयोजक



भारतीय स्टेट बैंक

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति

देहरादून प्रशासनिक कार्यालय

1, न्यू कैण्ट रोड, देहरादून

दूरभाष : 2742555, 2716065, 67

फैक्स : 0135-2742200

Website : <http://www.slbcuttarakhand.org.in>

| | <p>ii) बी०सी० द्वारा खोले गए खातों में ग्राहकों का बायोमेट्रिक्स विवरण पहचान करने की सुविधा (EBT facility & Facility to capture Biometric details of the customer) उपलब्ध हो ताकि ग्राहक बी.सी. के माध्यम अथवा इन्टरनेट बैंकिंग प्रणाली से खातों में ऑन-लाइन परिचालन कर सके। (कार्रवाई - बैंक नियंत्रक / अग्रणी जिला प्रबंधक)</p> | <table border="1"> <tr><td>सेंट्रल बैंक</td><td>16490</td><td>1972</td></tr> <tr><td>पंजाब एण्ड सिंध बैंक</td><td>11079</td><td>2701</td></tr> <tr><td>इलाहाबाद बैंक</td><td>17549</td><td>4210</td></tr> <tr><td>यूको बैंक</td><td>9721</td><td>1098</td></tr> <tr><td>सिंडिकेट बैंक</td><td>6350</td><td>850</td></tr> <tr><td>आई०ओ०बी०</td><td>9651</td><td>4719</td></tr> <tr><td>यू०जी०बी०</td><td>165922</td><td>44543</td></tr> </table> | सेंट्रल बैंक | 16490 | 1972 | पंजाब एण्ड सिंध बैंक | 11079 | 2701 | इलाहाबाद बैंक | 17549 | 4210 | यूको बैंक | 9721 | 1098 | सिंडिकेट बैंक | 6350 | 850 | आई०ओ०बी० | 9651 | 4719 | यू०जी०बी० | 165922 | 44543 | <p>ii) राज्य प्रशासन द्वारा टिहरी गढ़वाल जिला में “ नेशनल पोपूलेशन रजिस्टर “ (एन०पी०आर०) के आधार पर सभी व्यक्तियों (5 वर्ष से अधिक आयु) का Biometric details लिया जाना आरम्भ कर दिया है। अतः जनसाधारण को उनका Biometric details प्राप्त होते ही, बैंक Biometric details को उनके खाते में समाविष्ट कर सुरक्षित बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर सकेंगे। शासन से अनुरोध है कि इस दिशा में विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई से बैंकों को अवगत कराए।</p> | | |
|----------------------|--|--|--------------|--------------------|------|----------------------|-------|--------|---------------|-------|--------|-----------|-------|-------|---------------|-------|---------------|----------|-------|-------|-----------|--------|-------------|---|-------|---|
| सेंट्रल बैंक | 16490 | 1972 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| पंजाब एण्ड सिंध बैंक | 11079 | 2701 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| इलाहाबाद बैंक | 17549 | 4210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| यूको बैंक | 9721 | 1098 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| सिंडिकेट बैंक | 6350 | 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| आई०ओ०बी० | 9651 | 4719 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| यू०जी०बी० | 165922 | 44543 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | <p>एम०एस०एम०ई० क्षेत्र के अंतर्गत बैंकों द्वारा दिए गए ₹ 1 करोड़ तक के कोलेट्रल रहित ऋणों पर सी०जी०एफ०टी०एस०आई० की ओर से बैंकों को सुरक्षा कवच उपलब्ध है, इसलिए अध्यक्ष महोदया ने सभी बैंकों को निर्देशित किया कि इस क्षेत्र में कोलेट्रल रहित ऋण अधिक से अधिक संख्या में प्रदान करें। (कार्रवाई - समस्त बैंक नियंत्रक)</p> | <p>(₹0 करोड़ों में)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">बैंक</th> <th colspan="2">सी०जी०एफ०टी०एस०आई०</th> </tr> <tr> <th>संख्या</th> <th>राशि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>एसबीआई</td><td>891</td><td>28.69</td></tr> <tr><td>पीएनबी</td><td>2227</td><td>77.90</td></tr> <tr><td>बीओबी</td><td>145</td><td>16.13</td></tr> <tr><td>इलाहाबाद बैंक</td><td>277</td><td>11.38</td></tr> <tr><td>आईओबी</td><td>245</td><td>12.17</td></tr> <tr><td>यूनियन बैंक</td><td>418</td><td>13.58</td></tr> </tbody> </table> | बैंक | सी०जी०एफ०टी०एस०आई० | | संख्या | राशि | एसबीआई | 891 | 28.69 | पीएनबी | 2227 | 77.90 | बीओबी | 145 | 16.13 | इलाहाबाद बैंक | 277 | 11.38 | आईओबी | 245 | 12.17 | यूनियन बैंक | 418 | 13.58 | <p>शेष सभी बैंकों से अनुरोध है कि एम०एस०एम०ई० क्षेत्र के ऋण खातों को अधिक से अधिक संख्या में सी०जी०एफ०टी०एस०आई० के सुरक्षा कवच के अंतर्गत लाएं।</p> |
| बैंक | सी०जी०एफ०टी०एस०आई० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | संख्या | राशि | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| एसबीआई | 891 | 28.69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| पीएनबी | 2227 | 77.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| बीओबी | 145 | 16.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| इलाहाबाद बैंक | 277 | 11.38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| आईओबी | 245 | 12.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| यूनियन बैंक | 418 | 13.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|----|--|--|
| 8 | <p>i) भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि बैंकों द्वारा ग्राहकों को ₹ 1 लाख से अधिक के ऋण प्रदान करने हेतु उनके भूमि प्रलेख पर " ऑन लाइन क्रिएशन ऑफ चार्ज " (On-line creation of charge) का अधिकार, बैंकों को दिए जाने की व्यवस्था करें क्योंकि उत्तराखंड राज्य के भूमि प्रलेख तहसील / सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में कम्प्यूटरीकृत है।</p> <p>ii) इसी क्रम में बैंकों द्वारा जारी किए गए " वसूली प्रमाण पत्र " को भी राज्य सरकार / जिला के Website Portal पर " ऑन लाइन फाइलिंग " करने की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।</p> <p>(कार्रवाई - राज्य सरकार)</p> | <p>i) इस संबंध में राज्य सरकार से कार्रवाई प्रतीक्षित है। शासन से अनुरोध है कि राजस्व / वित्त विभाग द्वारा की गई अद्यतन कार्रवाई से एस0एल0बी0सी0 / नाबार्ड को अवगत कराएं।</p> <p>ii) इस संबंध में राज्य सरकार से कार्रवाई प्रतीक्षित है।</p> |
| 9 | <p>केंद्र सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार सभी राज्य एवं जिला सहकारी बैंक तथा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक को 31 मार्च, 2013 तक अनिवार्य रूप से कम्प्यूटरीकरण कर, कोर बैंकिंग सोल्यूशन पद्धति पर कार्य करना होगा।</p> <p>(कार्रवाई - सहकारिता विभाग / सहकारी बैंक)</p> | <p>राज्य में जिला सहकारी बैंक की 250 शाखाएं हैं, जिनमें से 31 मार्च, 2013 तक 50 प्रतिशत से अधिक शाखाओं में कोर बैंकिंग पद्धति का कार्य पूर्ण हो गया है और शेष पर कम्प्यूटरीकरण का कार्य गतिमान है। जिला सहकारी बैंक बताएं कि सी0बी0एस0 प्रणाली कब तक पूर्ण हो जाएगी।</p> <p>पंजाब एण्ड सिंध बैंक से पुष्टि अपेक्षित है कि उनकी समस्त बैंक शाखाएं पूर्ण रूप से कोर बैंकिंग सोल्यूशन पद्धति पर कार्य कर रही हैं।</p> |
| 10 | सभी बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक | बैंकों (पी0एन0बी0, बैंक ऑफ बड़ौदा, सहकारी बैंक |

| | |
|--|---|
| <p>त्रैमास जनवरी-मार्च, 2013 तक के एस0एल0बी0सी0 डाटा (विवरणी 1-48) जाँच कर दिनांक 20 अप्रैल, 2013 तक अनिवार्य रूप से ई-मेल (agmslbc.zodeh.sbi.co.in) द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।</p> <p>(कार्रवाई - सभी बैंक / अग्रणी जिला प्रबन्धक)</p> | <p>) एवं अग्रणी जिला प्रबंधकों (उधम सिंह नगर, हरिद्वार) से एस0एल0बी0सी0 के आँकड़े विलम्ब से प्राप्त हुए हैं एवं कुछ बैंकों द्वारा प्रेषित किए गए आँकड़ों में विसंगतियाँ पाई गई हैं, जिस पर उन बैंकों को भविष्य में सुधार करना होगा।</p> |
|--|---|

एजेण्डा संख्या - 3

क) भारत सरकार के निर्देशानुसार, वित्तीय समावेशन के अंतर्गत राज्य के सभी 0 - 2000 तक के जनसंख्या वाले गाँवों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु जिलेवार क्लस्टर निर्धारित किए गए हैं जहाँ पर अल्ट्रा स्मॉल शाखा / बिजनेस कॉर्रेस्पॉण्डेंट कार्य करेंगे। राज्य के प्रत्येक ग्राम एवं ग्रामीणों तक बैंकिंग सेवाएं पहुँचाने हेतु नाबार्ड एवं अग्रणी जिला प्रबंधकों के सहयोग से " बी0सी0 सेन्टर " (क्लस्टर एप्रोच ग्राम सेन्टर) निर्धारित किए गए हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है :

| संबंधित बैंकों द्वारा 2000 से कम जनसंख्या वाले गाँवों में बैंकिंग सेवाएं पहुँचाने हेतु निर्धारित समय सीमा (वर्ष) | निर्धारित क्लस्टरों की संख्या | आच्छादित क्लस्टर | निर्धारित गाँव की संख्या | आच्छादित गाँव |
|--|-------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| मार्च, 2013 | 472 | 59 | 2306 | 470 |
| मार्च, 2014 | 1052 | - | 5230 | - |
| मार्च, 2015 | 627 | - | 2901 | - |
| कुल योग | 2151 | 59 | 10437 | 470 |

| बैंक | क्लस्टर की संख्या | गाँव की संख्या |
|-----------|-------------------|----------------|
| एस0बी0आई0 | 17 | 173 |
| पी0एन0बी0 | 02 | 12 |
| बी0ओ0बी0 | 08 | 45 |
| यू0जी0बी0 | 19 | 205 |
| अन्य बैंक | 13 | 35 |
| कुल | 59 | 470 |

उपरोक्त निर्धारित किए गए क्लस्टरों को संबंधित बैंकों को आवंटित कर दिया गया है ताकि चरणबद्ध तीन वर्षों में राज्य के समस्त गाँवों मूलभूत बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर सकें। इसी क्रम में संबंधित बैंकों ने इन निर्धारित क्लस्टरों में अल्ट्रा स्मॉल ब्रान्च खोलना एवं बिजनेस कॉरैस्पॉण्डेंट को नियुक्त करना प्रारम्भ कर दिया है। बैंकों से अनुरोध है कि अपने क्षेत्र में नियुक्त बी०सी० द्वारा खोले गए खातों का विवरण साप्ताहिक अंतराल पर एस०एल०बी०सी० को सूचित करें।

ख) बी०एस०एन०एल० से अनुरोध है कि राज्य के प्रत्येक गाँव में बैंकिंग सेवाएं पहुँचाने हेतु निर्धारित किए गए सभी 2151 क्लस्टरों में ब्रॉड बैंड / जी०पी०आर०एस० कनेक्टिविटी पहुँचाएं ताकि बैंकों के बिजनेस कॉरैस्पॉण्डेंट इन्टरनेट के माध्यम से जनसाधारण को ऑन-लाइन बैंकिंग सुविधाएं पहुँचा सकें।

वित्तीय समावेशन के अंतर्गत यदि बी०एस०एन०एल० को अपने वार्षिक बजट में संशोधन करना हो तो उसे शीघ्र अंतिम रूप दें तथा इस हेतु राज्य सरकार से अनुरोध है कि वे केंद्र सरकार से वार्ता कर बी०एस०एन०एल० को अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें।

एजेण्डा संख्या - 4

ई-गवर्नेंस (e-governance)

क) परिवहन विभाग की सेवाओं के अंतर्गत बैंकों के माध्यम से ऑन-लाइन टैक्स / अन्य राजस्व प्राप्ति जमा कराए जाने हेतु विभागीय वेब-पोर्टल का शुभारम्भ दिनांक 03 मई, 2013 किया गया। इस प्रकरण को पूर्ण करने में भारतीय स्टेट बैंक की प्रमुख भूमिका रही है जिसमें Process flow, Work flow, Refund in case of failed transaction and On-line fund settlement का प्रावधान है। इसी क्रम में वाणिज्यिक कर को ई-पेमेंट द्वारा बैंकों के माध्यम से जमा करवाने की सुविधा जनसाधारण को पहले से ही उपलब्ध करवा दी गई है।

ख) डायरेक्ट बनिफिट ट्रान्सफर योजना को गति प्रदान करने हेतु राज्य प्रशासन ने टिहरी गढ़वाल जिले में “ नेशनल पोपुलेशन रजिस्टर “(National Population Register) के आधार पर सभी व्यक्तियों (5 वर्ष से अधिक आयु) का Biometric details लिया जाना आरम्भ करवा दिया है। इसी क्रम में डायरेक्ट बनिफिट ट्रान्सफर योजना के फेज - 2 के अंतर्गत चयनित शेष बागेश्वर एवं चम्पावत जिलों में भी यह कार्य शीघ्र आरम्भ कर दिया जाएगा, जिसके उपरांत जनसाधारण को उनका Biometric details प्राप्त होते ही, बैंक Biometric details को उनके खाते में समाविष्ट कर

सुरक्षित बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर, भविष्य में केंद्रीय / राजकीय सहायता को भी ऑन-लाइन सिस्टम से लाभार्थियों के खातों में जमा कर सकेंगे।

ग) ई-स्टॉम्पिंग प्राप्त करने के लिए हमारी (एस0बी0आई0) सचिवालय शाखा कोड संख्या 10164 देहरादून में कोषागार विभाग का विभागीय " पावर ज्योति खाता " संख्या 32422108714 खोला गया है जिसमें किसी भी शाखा से ऑन-लाइन राशि जमा करने का प्रावधान है। इस हेतु ग्राहक बैंक की किसी भी शाखा में ई-स्टॉम्प क्रय करने के लिए निर्धारित धनराशि उपरोक्त पावर ज्योति खाते में जमा कर चालान की प्रति प्राप्त कर सकते हैं, इस चालान पर संबंधित कोषागार जहाँ से स्टॉम्प पेपर जारी होना है का नाम व कोड संख्या अंकित होगा, जिसे ग्राहक संबंधित कोषागार में प्रस्तुत कर स्टॉम्प पेपर प्राप्त कर सकेगा।

एजेण्डा संख्या - 5

ऋण-जमा अनुपात की समीक्षा :

एसएलबीसी तालिका - 1

| विवरण | 31.03.2011 | 31.03.2012 | 31.03.2013 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|
| ऋण-जमा अनुपात ((RUDF सहित) | 52.67 % | 53.47 % | 57.78 % |

एजेण्डा संख्या - 6

वार्षिक ऋण योजना 2012-13 के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष मार्च, 2013 में की गई उपलब्धि की समीक्षा

एसएलबीसी तालिका - 2

(₹ करोड़ों में)

| गतिविधि | वार्षिक लक्ष्य | उपलब्धि | उपलब्धि प्रतिशत |
|-----------------------|----------------|-------------|-----------------|
| फार्म सेक्टर | 3579 | 3271 | 91 % |
| नॉन-फार्म सेक्टर | 1705 | 1353 | 79 % |
| अन्य प्राथमिक क्षेत्र | 2961 | 2603 | 88 % |
| योग | 8245 | 7227 | 88 % |

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पी0एस0ए0) के अंतर्गत वार्षिक ऋण योजना 2012-13 के लक्ष्यों के सापेक्ष 88 % की उपलब्धि दर्ज की है, जोकि ₹ 7227 करोड़ है। वार्षिक ऋण योजना 2012-13 के लक्ष्यों के सापेक्ष बैंकों ने संतोषजनक प्रगति की है, फिर भी बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि आगामी वित्तीय वर्ष 2013-14 में शत प्रतिशत उपलब्धि दर्ज करें।

एजेण्डा संख्या - 7

किसान क्रेडिट कार्ड : के अंतर्गत 31.03.2013 तक प्रगति निम्नानुसार है :

(एस.एल.बी.सी. तालिका - 4)

(₹ करोड़ों में)

| वर्ष 2012-13 के.सी.सी. लक्ष्य | 01.04.2012 से 31.03.2013 तक जारी किए गए कार्ड की संख्या | लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत | 31.03.2013 तक कुल जारी किए गए कार्ड की संख्या | 31.03.2013 तक वितरित राशि (₹ करोड़ों में) |
|-------------------------------|---|----------------------------|---|---|
| 2,00,000 | 1,35,019 | 68 % | 8,72,021 | 5307.66 |

भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी बैंक से अनुरोध है कि कृषक ग्राहकों को अधिक से अधिक संख्या में " के.सी.सी.- सह - ए.टी.एम. कार्ड " (स्मार्ट कार्ड) / रु-पे किसान डेबिट कार्ड उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि कृषक अपनी सुविधानुसार धनराशि को बैंकलपिक बैंकिंग चैनल से प्राप्त कर सकें।

एजेण्डा संख्या - 8

₹ 5 लाख तक के कृषि हेतु बैंक ऋण पर स्टॉम्प शुल्क पर छूट के संबंध में

भारतीय स्टॉम्प अधिनियम के अंतर्गत कृषि हेतु बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ₹ 5 लाख तक के कृषि ऋणों पर स्टॉम्प शुल्क नहीं लिए जाने से संबंधित, राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अधिसूचना की अवधि 31 मार्च, 2013 को समाप्त हो गई है। राज्य सरकार से पुनः अनुरोध है कि कृषि ऋणों पर देय स्टॉम्प शुल्क पर छूट की अवधि आगामी तीन वर्षों के लिए बढ़ाने से संबंधित अधिसूचना शीघ्र जारी करवाने की व्यवस्था करें।

एजेण्डा संख्या - 9

वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना :

(01.04.2012 से 31.03.2013 तक)

| मद - लक्ष्य | आवेदन प्रेषित | आवेदन स्वीकृत | वितरित किये गये ऋण | |
|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|
| | | | संख्या | राशि (₹ लाखों में) |
| वाहन - 260 | 281 | 236 | 225 | 1341.80 |
| गैर-वाहन - 260 | 269 | 147 | 117 | 1960.20 |
| कुल योग - 520 | 550 | 383 | 342 | 3302.00 |

श्रीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा गैर वाहन मद (विशेषकर होटल भवन निर्माण) के ऋण निस्तारण में निम्न व्यवधान आते हैं, जिसके लिए राज्य प्रशासन से अनुरोध है कि इस विषय में समुचित सुधार लाने की व्यवस्था की जाए।

i) आवेदकों द्वारा प्रस्तावित निर्माण स्थल को कृषि भूमि से व्यवसायिक भूमि में परिवर्तित कराने में कठिनाई होती है।

ii) उत्तराखंड की चार धाम यात्रा मार्ग के निकट भवन निर्माण हेतु " बोर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन " से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई एवं विलम्ब होता है।

iii) यदि निर्माण स्थल नगर पालिका के अंतर्गत है तब उस पर भवन निर्माण हेतु अधिकृत अधिकारी / प्राधिकरण से नक्शा स्वीकृत करवाने की प्रक्रिया का जटिल / महंगा होना।

उपरोक्त कारणों / व्यवधानों के मद्देनजर बैंकों को भी ऋण देने की प्रक्रिया पूर्ण करने में अनावश्यक विलम्ब होता है ।

चूंकि पहाड़ी क्षेत्र के यात्रा रूट पर अधिक वाहनों की आवाजाही रहती है इसलिए पर्यटन एवं उद्योग विभाग से अनुरोध है कि समुचित दूरी (जगह-जगह) पर मोटर गैराज / रिपेयर एवं सर्विस सेंटर स्थापित किए जाने की व्यवस्था की जाए एवं उन्हें भी इस योजना में सम्मिलित किया जाए।

एजेण्डा संख्या - 10

क) बैंकों द्वारा जारी किए गए " वसूली प्रमाण पत्र " को राज्य सरकार / जिला के **Website Portal** पर " ऑन लाइन फाइलिंग " करने की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु शासन से अपेक्षा की जाती है ताकि बैंक ऋण बकाया राशि के अनुश्रवण में सुधार लाया जा सके। शासन से अनुरोध है कि इस दिशा में की गई कार्रवाई से सदन को अवगत कराएं।

ख) वसूली प्रमाण पत्रों के विरुद्ध राजस्व विभाग द्वारा बहुत धीमी गति से वसूली की जा रही है जिसमें तीव्रता लाने की आवश्यकता है। सभी बैंकों से अनुरोध है कि वे लम्बित वसूली प्रमाण पत्रों का संबंधित जिला के राजस्व विभाग से त्रैमासिक अंतराल पर मिलान कर बकाया ऋण राशि की वसूली करवाने में प्रशासन का सहयोग लें।

एजेण्डा संख्या - 11

आरसेटी संस्थान : उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य है जहाँ पर आरसेटी संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु निदेशक के अतिरिक्त विभिन्न संकायों (faculties) की नियुक्ति की गई है।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 43वीं एवं 44वीं बैठकों में निर्णय लिया गया है कि उत्तरकाशी, चम्पावत, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर एवं रुद्रप्रयाग जिलों के चयनित भूमि को संबंधित बैंकों के आरसेटी संस्थान के नाम हस्तांतरित करने की कार्रवाई शीघ्र पूर्ण की जाए ताकि भवन निर्माण की प्रक्रिया आरम्भ की जा सके।

आरसेटी संस्थान की स्थापना हेतु बैंक द्वारा की गई कार्रवाई की जिलेवार वर्तमान स्थिति निम्नवत् है:

| आरसेटी | भूमि आवंटन की स्थिति | भवन निर्माण हेतु एन.आई.आर.डी. द्वारा निर्गत राशि | भवन निर्माण की स्थिति |
|---------------------|----------------------|--|-----------------------|
| | | प्रथम किश्त की तिथि | द्वितीय किश्त की तिथि |
| उत्तरकाशी एस.बी.आई. | नहीं | - | - |
| चम्पावत एस.बी.आई. | नहीं | - | - |

जिला प्रशासन द्वारा भूमि आवंटन हेतु उत्तराखंड सरकार से दि. 27.02.2012 को अग्रह किया गया है, जोकि ऊर्जा अनुभाग - 2, देहरादून, सचिवालय से स्वीकृति प्रतीक्षित है। इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा दि. 03.11.2012 को आयुक्त, ग्राम्य विकास अभिकरण, पौड़ी को भी पत्र प्रेषित किया गया है, जिस पर राज्य प्रशासन की ओर से कार्रवाई प्रतीक्षित है।

जिला प्रशासन द्वारा भूमि आवंटन हेतु उत्तराखंड सरकार से दि. 25.08.2012 को आग्रह किया गया है, जोकि अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, उत्तराखंड शासन में लम्बित है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने राज्य प्रशासन को पत्र संख्या 4182/सात - भू0आ0 /2012 दि. 25.08.2012 एवं पत्र संख्या 472 / सात - भू0आ0 / 2012 दि. 08.11.2012 द्वारा भूमि आवंटन की पुनः स्वीकृति मांगी है।

इसी क्रम में जिलाधिकारी, चम्पावत ने मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, उत्तराखंड, देहरादून को अपने पत्र संख्या 836 / सात - भू0आ0/ 2012 दि0 15.12.2012 द्वारा संस्थान हेतु निःशुल्क भूमि हस्तांतरण किए जाने की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु पुनः अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया है।

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|--|
| बागेश्वर एस.बी.आई. | भूमि का पुर्न चयन किया गया है। | ₹ 50 लाख दि.11.03.2011 | - | जिला प्रशासन द्वारा एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित करने के उपरांत भूमि में फेरबदल किया जा रहा है जिससे चयनित भूमि पर बैंक को भवन निर्माण करने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो रही है। |
| नैनीताल बी.ओ.बी. | भूमि आवंटित | - | - | जिला प्रशासन द्वारा आवंटित भूमि को बैंक ऑफ बडौदा " आरसेटी संस्थान " के नाम लीड डीड करने की प्रक्रिया जिला प्रशासन के स्तर पर लम्बित है। दिनांक 20 नवम्बर, 2012 को आयोजित एस0एल0बी0सी0 बैठक में बी0ओ0बी0 ने सदन को आश्वासन दिया कि 15 दिनों के अंदर लीड डीड निष्पादित करवाकर प्रथम किश्त प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार के सहयोग से एन0आई0आर0डी0, हैदराबाद को आवेदन कर दिया जाएगा। |
| पिथौरागढ़ यू.जी.बी. | भूमि का पुर्न चयन किया गया है। | | - | पुनः दूसरी जमीन चयनित की गई है, जिसे उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के नाम हस्तांतरित करने की प्रक्रिया राज्य प्रशासन स्तर पर लम्बित है। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के प्रधान कार्यालय, देहरादून ने भी राज्य प्रशासन से आग्रह किया है कि उक्त भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई शीघ्र की जाए। |
| रूद्रप्रयाग एस.बी.आई. | हाँ दि.06.05.2011 | ₹ 50 लाख दि.28.05.2011 | - | पूर्व में चयनित भूमि जिला मुख्यालय से अधिक दूरी होने के कारण जिलाधिकारी द्वारा वैकल्पिक भूमि चिन्हित करवा दी गई है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक सर्वे दि. 11.10.2012 को हो गया है। वैकल्पिक भूमि पर विवाद होने के कारण भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया शासन स्तर से लम्बित है। |
